

कार्यालय नगर पंचायत जफराबाद जौनपुर

पत्रांक 162 / न0पं0जफ-2016-17 / दि० 9-11-16

सार्वजनिक सूचना स्वकर निर्धारण के संबंध में

शासनादेश सं०-408/नौ-9-10-63ज/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 दि० 22, फरवरी, 2010

शासनादेशानुसार एवं निदेशक, स्थानीय निकाय उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-8/872 दि० 22.03.2010 के अनुक्रम में नगर पंचायत जफराबाद जौनपुर (बोर्ड) के संकल्प सं०- 03 बैठक दि० 17-6-15 के अन्तर्गत निकाय सीमा में स्थित आवासीय भवनों/भूखण्डों पर स्वकर निर्धारण की व्यवस्था को लागू किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है (अनावासीय/व्यवसायिक भवनों का कर निर्धारण अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार ही कराया जायेगा)।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भवनों के वार्षिक मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रति वर्गफुट प्रतिमाह किराये की दर बोर्ड के संकल्प दि० 17-6-15 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार उपरान्त जनसामान्य जनसामान्य हितबद्ध व्यक्तियों/संगठनों के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ अन्तिम रूप से संशोधित कर निम्नवत् प्रकाशित की जा रही है,। उक्त संशोधित दरें बोर्ड द्वारा अन्तिम निर्णय उपरान्त दि० 01.04.2014 से लागू/प्रभावी मानी जायेगी।

उपरोक्त के संबंध में शेष एवं अन्य समस्त कार्यवाही उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं में प्रदत्त व्यवस्था एवं शासनादेश सं०- 134/9-9-11-190दि०रा०वि०आ०/04 नगर विकास अनुभाग-9 में उद्युत "नगर पालिका परिषदों में सम्पत्ति कर का अनिवार्य करों की श्रेणी में वर्गीकरण एवं गृहकर एवं जलकर, भूखण्ड हेतु स्वकर मूल्यांकन व्यवस्था के लिये अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार की जायेगी।


आवासीय भवनों/भूखण्डों के वार्षिक किराया मूल्यांकन हेतु मोहल्लेवार अन्तिम रूप से प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह किराये की दर (रूपये में)


क्र० सं०	वार्ड सं०	मोहल्ले का नाम	7 मी० से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन				4 मी० से 7 मी० तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन				4 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			
			पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	खाली भूमि/भूखण्ड	पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	खाली भूमि/भूखण्ड	पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	खाली भूमि/भूखण्ड
1	1	चकमहमूद	1.00	0.75	0.40	0.20	0.75	0.60	0.25	0.15	0.60	0.50	0.15	0.10
2	2	ताडतला	1.50	1.25	0.60	0.30	1.25	1.00	0.40	0.25	1.60	0.75	0.30	0.20
3	3	सैयदहास	1.50	1.25	0.60	0.30	1.25	1.00	0.40	0.25	1.00	0.75	0.30	0.20
4	4	नासही उत्तरी	1.50	1.25	0.60	0.30	1.25	1.00	0.40	0.25	1.00	0.75	0.30	0.20
5	5	सैयदअलीपुर	1.25	1.00	0.50	0.30	1.00	0.75	0.30	0.20	0.75	0.60	0.25	0.15

6	6	शेखवाडा उत्तरी	1-50	1-25	0-60	0-25	1-25	1-00	0-40	0-25	1-00	0-75	0-30	0-20
7	7	हिसारकोट	1-25	1-00	0-50	0-30	1-00	0-75	0-30	0-20	0-75	0-60	0-25	0-15
8	8	काजीअहमदनूर प्रथम	1-25	1-00	0-50	0-25	1-00	0-75	0-30	0-25	1-00	0-75	0-25	0-15
9	9	काजीअहमदनूर द्वितीय	1-50	1-25	0-60	0-25	1-00	1-00	0-40	0-20	0-75	0-60	0-30	0-20
10	10	दरीबा	1-50	1-25	0-60	0-25	1-25	1-00	0-40	0-20	1-00	0-60	0-25	0-20

नोट :- जिन मोहल्लों/क्षेत्रों/वार्डों का उल्लेख उपरोक्त सूची में नहीं है उनकी किराया दरें सन्निकट मोहल्लें/क्षेत्रों/वार्डों की दरों के समान होगी।

नगर के विकास में नगर पंचायत का सहयोग करें।



(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत जफराबाद
जौनपुर


रेखा बरनवाल
अध्यक्ष
नगर पंचायत जफराबाद
जौनपुर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि – सम्पादक दैनिक समाचार-पत्र “जनसंदेश राउर” को इस आशय के साथ की, कृपया अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उक्त सूचना का प्रकाशन 1/2 पेज में कराकर अपने बिल के साथ समाचार-पत्र की 2 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर जिलाधिकारी (प्र०)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त सूचना का प्रकाशन jaunpur.nic.in वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट, जौनपुर पर चस्पार्थ।
- नोटिस बोर्ड तहसील सदर, जौनपुर पर चस्पार्थ।
- नोटिस बोर्ड नगर पंचायत जफराबाद जौनपुर पर चस्पार्थ।


अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत जफराबाद
जौनपुर